संख्या-64/219आ.न.यो./9-8-14-11आ.न.यो(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद-गंगोह, जनपद-सहारनपुर/नगर पालिका परिषद-बिसवा, जनपद-सीतापुर/नगर पालिका परिषद-धनौरा, जनपद-अमरोहा/नगर पालिका परिषद-धामपुर, जनपद-बिजनौर/ नगर पालिका परिषद-पुवायां, जनपद-शाहजहांपुर/नगर पालिका परिषद-गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर/नगर पालिका परिषद-नानपारा, जनपद-बहराइच।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 01 मार्च, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पालिका परिषदों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नगर, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्रावधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 07 नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये डीपीआर के सापेक्ष कुल रूपये 202.00 लाख (रूपये दो करोड़ दो लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये

http://shasanadesh.up.nic.in

101.00 लाख (रूपये एक करोड एक लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निकाय को वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदान की जा रही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.5.2013 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में सीधे जमा किया जायेगा।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत डेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमश: इससे अधिक के डेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(6) निदेशालय/स्थानीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित समयबद्ध एवं चरणबद्ध सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराव होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा प्रस्तावित सुधारों की मासिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा संकलित सूचना/प्रगति विवरण माह के प्रथम सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(12) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रख रखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, के लिये संबंधित निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

(14) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(15) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(17) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो,

http://shasanadesh.up.nic.in

सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(18) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/स्थानीय निकाय/जिलाधिकारी का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/ महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1237-दस-14, दिनांक 01 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-64/219(1)आ.न.यो./9-8-14 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-64/219आ.न.यो./नौ-आठ-2014-11आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 01 मार्च, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	सहारनपुर	न.पा.प. गंगोह	40 वाट एलईडी स्ट्रीट लाईट क्लीप एवं पाइप के साथ कम्पलीट सेट 75 नग।	21.60	21.60		
			60 वाट एलईडी स्ट्रीट लाईट क्लीप एवं पाइप के साथ कम्पलीट सेट 50 नग।	21.40	21.40		
			योग-		43.00	40.00	**20.00**
2	सीतापुर	न.पा.प. बिसवां	मो0 जोशीटोला चौराहा से ह्नीफ की दरी फैक्ट्री तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	13.35	13.35		
			जहांगीराबाद मार्ग से श्री आभूषणम तक मार्ग का नवीनीकरण का कार्य।	19.49	19.49		
			योग-		32.84	32.00	**16.00**
3	अमरोहा	न.पा.प. धनौरा	मौ0 चामुण्डा में कमल मेडिकल से सुरेश सैनी के मकान तक व कटाई वालों के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक/नाली निर्माण कार्य।	11.19	11.19		
			मौ0 कटरा में श्री रिफाकत के मकान से साबिर के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक/नाली निर्माण कार्य।	04.71	04.71		
			योग-		15.90	15.00	**07.50**

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

http://sirsanadesh.up.nic.in

संख्या-64/219आ.न.यो./नौ-आठ-2014-11आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 01 मार्च, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
4	बिजनौर	न.पा.प. धामपुर	वार्ड नम्बर-4 मण्डी मारकम गंज में विशम्भर सिंह की दुकान से तालाब/कामनी गोयल के मकान तक पेवर ब्लाक रोड निर्माण कार्य।	12.23	12.23		
			वार्ड नम्बर-9 मौ0 बाड़ावान में सेन्ट मेरी रोड़ से शमशान घाट तक पेवर ब्लाक रोड निर्माण कार्य।	09.15	09.15		
			वार्ड नम्बर-1 मौ0 इन्दिरा नगर में श्री निर्मल सिंह के मकान से श्री जितेन्द्र के मकान तक पेवर ब्लाक रोड निर्माण कार्य।	03.55	03.55		
			वार्ड नम्बर-1 मौ0 इन्दिरा नगर में श्री महेश के मकान के सामने पेवर ब्लाक रोड़ निर्माण कार्य।	01.72	01.72		
			योग-		26.65	25.00	**12.50**
5	शाहजहांपुर	न.पा.प. पुवायां	मो0 राजीवनगर मं बण्डा रोड पर राजीव चौक से नाहिल चौराहा तक इण्टरलाक लगाये जाने का कार्य।	35.26	35.26		
			मो0 शास्त्रीनगर में शाहजहांपुर रोड पर कुलवन्त की दुकान से शीतल पैथालोजी तक सड़क पटरी पर इण्टरलाक लगाये जाने का कार्य।	18.89	18.89		
			योग-		54.15	40.00	**20.00**

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-64/219आ.न.यो./नौ-आठ-2014-11आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 01 मार्च, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
6	बुलन्दशहर	न.पा.प. गुलावठी	मौ0 पीर खां में मेवाती चौपाल पर हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 पीर खां में इब्राहिम मदरसे के सामने हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 पलवलनियान में लाल डिग्गी पर हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 अजीमुद्दीन में डा0 सुब्हान अल्ला के चौक में हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 रामनगर में मकबरे वाली मस्जिद के सामने हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 रामनगर में मिलन चित्रालय के सामने हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 रामनगर में दीप होटल के सामने हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 रामनगर में ईदगाह के सामने हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 रामनगर में नूरा के घर के सामने हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 रामनगर में सिकन्द्राबाद रोड तिराहे पर हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 रामनगर में ताज मस्जिद के बराबर में हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 सौलत में सैनी धर्मशाला के सामने हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			वार्ड नम्बर-24 में इरफान के मकान के सामने हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			मौ0 सौलत में सियाराम स्कूल के बराबर से हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		

http://shasanadesh.up.nic.in

			मौ0 पीर खां में काले पहलवान के मकान के सामने हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	01.99	01.99		
			वार्ड नमबर-16 में आजाद सिंह के मकान से हाकिम के मकान तक व नवीन के मकान से अमरपाल के मकान तक नाली इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	06.24	06.24		
			वार्ड नम्बर-16 कौशिक कि इस पब्लिक स्कूल से गरीबा के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	02.13	02.13		
			वार्ड नम्बर-16 डा0 मोहरपाल सिंह से राजकुमार के प्लाट की बराबर में से कब्रिस्तान की दीवार तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	02.05	02.05		
			योग-		40.27	40.00	**20.00**
7	बहराइच	न.पा.प. नानपारा	वार्ड नम्बर-14 मो0 राढनटोला में मिह्रीपुरवा-नानपारा मेन रोड प्रेमसागर के मकान से राजकिशोर लाल के मकान होते हुए राममिलन के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	13.40	13.40		
			योग-		13.40	10.00	**05.00**
			कुल योग-			202.00	**101.00**

(रूपये एक करोड़ एक लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in